

उत्तराखण्ड शासन

आबकारी अनुभाग

संख्या: 399/ XXIII / 2018 / 02(03) / 2018

देहरादून: दिनांक: 16 अप्रैल, 2018

आदेश

आबकारी आयुक्त के पत्र संख्या:-292/सात लाई-एस-143/व्यवस्थापन-2018-19/ खण्ड-दो देहरादून दिनांक 09 अप्रैल, 2018 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में माह अप्रैल, 2018 हेतु मदिरा की दुकानों के व्यवस्थापन में जनपद देहरादून, हरिद्वार व चम्पावत में हुयी राजस्व हानि के दृष्टिगत अनुशासनिक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव के क्रम में निम्नलिखित जिला आबकारी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है :-

- (1) श्री मनोज उपाध्याय, जिला आबकारी अधिकारी, देहरादून।
- (2) श्री प्रशान्त कुमार, जिला आबकारी अधिकारी, हरिद्वार।
- (3) श्री राजेन्द्र लाल, जिला आबकारी अधिकारी, चम्पावत।

2. निलम्बन की अवधि में उक्त अधिकारियों को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग 2 से 4 के मूल नियम 53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्ध वेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर महंगाई भत्ता, यदि ऐसे अवकाश पर देय है, भी अनुमन्य होगा किन्तु ऐसे अधिकारी को जीवन निर्वाह के साथ कोई महंगाई भत्ता देय नहीं होगा, जिन्हें निलम्बन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ महंगाई भत्ता अथवा महंगाई भत्ते का उपान्तिक समायोजन प्राप्त नहीं था। निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होंगे, जब इसका समाधान हो जाय कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिये उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य है।

3. उपर्युक्त प्रस्तर 2 में उल्लिखित मदों का भुगतान तभी किया जायेगा जब कि उक्त अधिकारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि वह किसी अन्य सेवायोजना, व्यापार, वृत्ति व्यवसाय में नहीं लगे हैं। निलम्बन काल में उक्त अधिकारियों को आबकारी आयुक्त कार्यालय में सम्बद्ध किया जाता है।

4. आरोप पत्र पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

राज्यपाल के आदेश से,

डा० रणबीर सिंह
अपर मुख्य सचिव

संख्या: 399(ii) / XXIII / 2018 / 02(03) / 2018 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड को उनके पत्र संख्या:-292/सात लाई-एस-143/व्यवस्थापन-2018-19/खण्ड-दो देहरादून दिनांक 09 अप्रैल, 2018 के क्रम में इस आशय से प्रेषित है कि प्रश्नगत प्रकरण में उक्त अधिकारियों के विरुद्ध तत्काल आरोप पत्र गठित कर साक्ष्यों सहित दो प्रतियों में शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
2. जिलाधिकारी देहरादून/हरिद्वार/चम्पावत।
3. संयुक्त आबकारी आयुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमाँऊ मण्डल।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून/हरिद्वार/चम्पावत।
5. संबंधित कार्मिक द्वारा आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रदीप कुमार शुक्ल)
अनु सचिव